भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2005
दिनांक 05 अगस्त, 2026 / 14 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

जेलों में कैदियों की संख्या

2005 श्री अब्दुल वहाब:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान जेलों में कैदियों की कुल संख्या सहित जेलों की संस्वीकृत क्षमता तथा उनमें वास्तविक अधिभोग का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अपनी संस्वीकृत क्षमता से परे संचालनरत जेलों की संख्या कितनी है तथा उनमें किस सीमा तक कैदियों की संख्या जेलों में उनकी संस्वीकृत संख्या/क्षमता से अधिक होने (ओवरक्राउडिंग) की समस्या है;

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कैदियों की संख्या जेलों में उनकी संस्वीकृत संख्या/क्षमता से अधिक होने (ओवर क्राउडिंग) की समस्या के समाधान हेतु जेल आधुनिकीकरण, अवसंरचना उन्नयन तथा नई जेलों के निर्माण के लिए जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कैदियों के अधिकारों, स्वास्थ्य, विधिक सहायता तथा पुनर्वास पर ओवरक्राउडिंग के प्रभाव का आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मानवीय जेल दशाएं सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे उपलब्ध कराए गए कारागार संबंधी आंकड़ों का संकलन करता है और उन्हें प्रतिवर्ष अपनी प्रकाशन "प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2024 की है। वर्ष 2020 से 2024 तक प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कारागारों की कुल उपलब्ध क्षमता तथा वास्तविक

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2005, दिनांक 05.08.2026

कैदी संख्या का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। वर्ष 2024 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 609 कारागार अपनी स्वीकृत क्षमता से अधिक कैदियों के साथ संचालित हो रहे थे। चूंकि "कारागार/उनमें निरुद्ध व्यक्ति" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत राज्य का विषय है, अतः कारागारों का प्रशासन एवं प्रबंधन, जिसमें भीड़भाड़ की समस्या के समाधान हेतु विद्यमान कारागारों की क्षमता का विस्तार तथा नए कारागारों का निर्माण कर कारागार क्षमता में वृद्धि करना भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ग): गृह मंत्रालय द्वारा विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान कारागारों के आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत उच्च सुरक्षा कारागारों के निर्माण, कारागारों की सुरक्षा अवसंरचना के उन्नयन तथा कौशल विकास, कैदियों के पुनर्वास आदि कार्यक्रमों/पहल के माध्यम से सुधारात्मक प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को 608.6 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई।

(घ) और (ङ): चूंकि कारागारों एवं उनमें निरुद्ध व्यक्तियों का प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है, अतः कारागारों में भीड़-भाड़ का कैदियों के अधिकारों, स्वास्थ्य, विधिक सहायता तथा पुनर्वास पर पड़ने वाले प्रभावों का संज्ञान लेते हुए मानवीय कारागार परिस्थितियां सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय करना उनका दायित्व है। तथापि, गृह मंत्रालय इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का निरंतर पूरक सहयोग करता रहा है। इस उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के "कैदियों के साथ व्यवहार के लिए मानक न्यूनतम नियम" सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए हैं, जो कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करते हैं।

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2016 में मॉडल कारागार मैनुअल, 2016 तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कारागार प्रशासन हेतु एक मार्गदर्शी रूपरेखा के रूप में प्रेषित किया था। इसका उद्देश्य मानवीय कारागार परिस्थितियों को बढ़ावा देना तथा कैदियों के कल्याण, पुनर्वास एवं समाज में पुनः एकीकरण को सुदृढ़ करना है। इस मैनुअल में कारागार प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे चिकित्सा देखभाल, विधिक सहायता, देखरेख तथा पुनर्वास आदि के संबंध में व्यापक मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2005, दिनांक 05.08.2026

अनुलग्नक

वर्ष 2020 से 2024 तक प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कारागारों की कुल उपलब्ध क्षमता तथा वास्तविक कैदी संख्या का विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020		2021		2022	
		कुल उपलब्ध क्षमता	वास्तविक अधिभोग	कुल उपलब्ध क्षमता	वास्तविक अधिभोग	कुल उपलब्ध क्षमता	वास्तविक अधिभोग
1	आंध्र प्रदेश	8760	7375	8761	7950	8659	7254
2	अरुणाचल प्रदेश	333	253	333	251	333	335
3	असम	8938	9274	8938	10079	9564	11592
4	बिहार	45862	51934	47750	66879	47750	64914
5	छत्तीसगढ़	13704	18068	13500	20061	14143	20451
6	गोवा	624	524	624	551	624	681
7	गुजरात	13762	15217	13999	16597	14065	16611
8	हरियाणा	19306	18309	19999	24158	20953	25471
9	हिमाचल प्रदेश	2264	2427	2417	2876	2528	2881
10	झारखंड	17333	22190	17501	21257	17671	19615
11	कर्नाटक	14550	14308	15385	15473	15589	16203
12	केरल	7321	6049	7920	7111	8369	8883
13	मध्य प्रदेश	28675	45484	29571	48513	29715	48857
14	महाराष्ट्र	24722	31825	24772	36853	25443	41070
15	मणिपुर	1272	625	1272	611	1272	855
16	मेघालय	650	1007	680	1089	680	1137
17	मिजोरम	1623	1049	1420	1116	1364	1580
18	नागालैंड	1450	391	1450	500	1490	469
19	ओडिशा	20819	18881	20987	20804	22855	18962
20	पंजाब	23776	18470	26556	26146	26556	30801
21	राजस्थान	22907	22063	22897	22938	22963	24659
22	सिक्किम	260	452	260	434	260	387
23	तमिलनाडु	23592	14302	23592	18015	24342	18806
24	तेलंगाना	7845	6114	7997	7316	7997	6497
25	त्रिपुरा	2179	870	2204	1033	2365	1194
26	उत्तर प्रदेश	60685	107395	63751	117789	67600	121609
27	उत्तराखंड	3540	5969	3741	6921	3741	6858
28	पश्चिम बंगाल	21476	25863	21476	25769	21476	28789
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	309	331	319	267	319	258
30	चंडीगढ़	1120	968	1120	897	1120	1195
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव	130	157	170	185	170	176
32	दिल्ली	10026	15995	10026	18295	10026	18497
33	जम्मू और कश्मीर	3660	4105	3586	4970	3629	5314
34	लद्दाख	80	26	155	20	155	30
35	लक्षद्वीप	64	3	64	5	64	6
36	पुदुचेरी	416	238	416	305	416	323
	कुल	**414033**	**488511**	**425609**	**554034**	**436266**	**573220**

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2005, दिनांक 05.08.2026

अनुलग्नक

वर्ष 2020 से 2024 तक प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कारागारों की कुल उपलब्ध क्षमता तथा वास्तविक कैदी संख्या का विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023		2024	
		कुल उपलब्ध क्षमता	वास्तविक अधिभोग	कुल उपलब्ध क्षमता	वास्तविक अधिभोग
1	आंध्र प्रदेश	8831	7889	8659	7861
2	अरुणाचल प्रदेश	383	360	533	468
3	असम	10120	10652	10330	11674
4	बिहार	49019	53076	49090	51990
5	छत्तीसगढ़	14383	18421	14733	18798
6	गोवा	624	568	624	615
7	गुजरात	14065	17265	14108	17766
8	हरियाणा	22045	25833	22838	24756
9	हिमाचल प्रदेश	2560	2816	2580	2984
10	झारखंड	17671	18862	17671	16201
11	कर्नाटक	14237	15236	14317	14450
12	केरल	7823	9920	7823	10307
13	मध्य प्रदेश	29875	45543	30644	45092
14	महाराष्ट्र	26281	40805	27110	39003
15	मणिपुर	1160	535	1160	450
16	मेघालय	680	1283	860	1406
17	मिजोरम	1386	1957	1386	1556
18	नागालैंड	1490	591	1270	514
19	ओडिशा	24666	18170	25176	16617
20	पंजाब	26543	31529	26543	30663
21	राजस्थान	23288	22737	23454	24310
22	सिक्किम	260	318	358	302
23	तमिलनाडु	24342	19738	24513	20400
24	तेलंगाना	8037	5853	8013	6782
25	त्रिपुरा	2348	1329	2348	1761
26	उत्तर प्रदेश	65866	98849	76162	86762
27	उत्तराखंड	3761	6885	3921	5548
28	पश्चिम बंगाल #	21476	25774	21476	25774
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	319	373	479	395
30	चंडीगढ़	1120	1069	1120	939
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव	170	145	180	114
32	दिल्ली	10026	20077	10026	19512
33	जम्मू और कश्मीर	3629	5400	3629	5383
34	लद्दाख	155	46	155	51
35	लक्षद्वीप	64	3	64	5
36	पुदुचेरी	416	426	416	333
	कुल	**439119**	**530333**	**453769**	**511542**

- वर्ष 2024 के लिए पश्चिम बंगाल से आँकड़े प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2023 के आँकड़ों का उपयोग किया गया है
